

3

2019/00081  
न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा  
पीठासीन अधिकारी: श्री नरेन्द्र गुप्ता, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 02/2019 (निगरानी)

उनवान  
विकास अधिकारी पंचायत समिति सांगोद जिला कोटा (राज0)  
(निगराकार)

- बनाम
1. सरपंच ग्राम पंचायत मामोर पंचायत समिति सांगोद जिला कोटा
  2. ग्राम सेवक पदेन सचिव ग्राम पंचायत मामोर पंचायत समिति सांगोद जिला कोटा
  3. प्रधानाध्यापक रा0 उ0 प्रा0 विद्यालय पानाहेडी ब्लॉक सांगोद जिला कोटा राजस्थान

उपस्थित :- 1. श्री अनिल शर्मा (अभिभाषक निगराकार ) (गैर निगराकार)

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज0 अधिनियम -1994 विरुद्ध ग्राम पंचायत मामोर पंचायत समिति सांगोद जिला कोटा के द्वारा जारी आबादी भूमि का विक्रय विलेख नियम 158 (2) मिसाल सं0 401 दिनांक 05.10.2010 पट्टा सं0-1701 दिनांक 25.11.2010 को निरस्त करवाये बाबत

1.

निर्णय दिनांक : 29.11.2019  
निगराकार द्वारा यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज0 पंचायती राज अधिनियम 1994 में विकास अधिकारी पंचायत समिति सांगोद के द्वारा प्रस्तुत कर तथ्य अंकित किये हैं कि दिनांक 25.11.2010 को ग्राम सेवक पदेन सचिव, सरपंच ग्राम पंचायत मामोर, प्रधानाध्यापक रा0 उ0 प्रा0 विद्यालय पानाहेडा के मध्य आबादी भूमि का विक्रय विलेख का अनुबंध किया गया जिसके तहत ग्राम पंचायत के संकल्प संख्या-3 के अनुसरण में प्रधानाध्यापक रा0 उ0 प्रा0 विद्यालय पानाहेडा को निःशुल्क 65 गुणा 70 वर्गफुट का भूखण्ड कुल क्षेत्रफल 4550 वर्गफुट आवंटित किया गया है । उक्त पट्टे के अनुसार आवंटित भूमि पर वर्तमान में विद्यालय का खुद का नया भवन में संचालित होने से उक्त पट्टे के अनुसार आवंटित आवासीय भूखण्ड का लगभग गत 7 वर्षों से विद्यालय का संचालन नहीं हो रहा है । उक्त आवासीय भूखण्ड वर्तमान में क्षतिग्रस्त एवं जर्जर अवस्था में है । वर्तमान में आवश्यकता महसूस होने पर ग्राम पंचायत मामोर द्वारा जारी पट्टे की कानूनी रूप से जांच की गयी एवम् वर्तमान में रा0 उ0 प्रा0 विद्यालय पानाहेडा खुद के नये भवन में संचालित है । पट्टा कानूनी रूप से जारी नहीं किया गया है इसलिये इसे निरस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है । ग्राम पंचायत मामोर द्वारा दिनांक 25.11.2010 के जारी पट्टे में खसरा नम्बर का अंकन पट्टे पर नहीं होने से यह स्पष्ट नहीं हो सका कि पट्टा आबादी भूमि का जारी किया गया है तथा पंचायत को इसे जारी करने का अधिकार था भी या नहीं । ग्राम पंचायत द्वारा राज0 उ0 प्रा0 विद्यालय पानाहेडा को जारी पट्टा नियम-158(2) में जारी किया गया है जबकि इस नियम में कमजोर वर्गों को ही भूमि का आवंटन किये जाने का प्रावधान है, जबकि राजकीय भवनों/ संस्थाओं को आबादी भूमि का पट्टा पंचायत राज अधिनियम- 1994 के नियम-162 के तहत निःशुल्क 500 वर्ग गज तक के लिये जारी किये जाते हैं इस प्रकार ग्राम पंचायत मामोर द्वारा जारी पट्टा पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है । वर्तमान में राज0 उ0 प्रा0 विद्यालय पानाहेडा खुद के नये भवन में संचालित हो रहा है जारी पट्टे वाला परिसर अब उक्त विद्यालय को उराकी आवश्यकता नहीं रही । जारी पट्टा



उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करने के कारण खारिज किये जाने योग्य है । ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टा वर्ष-2010 में राज० उ० प्रा० विद्यालय पानाहेडा को जारी किया गया था परन्तु वर्तमान में उक्त आवासीय भूखण्ड लगभग 7 वर्षों से खाली पड़ा है और अनुपयोगी साबित हो रहा है । स्वयं प्रधानाध्यापक राज० उ० प्रा० विद्यालय पानाहेडा द्वारा ग्राम पंचायत मामोर द्वारा जारी पट्टा निरस्त करने के लिए निवेदन किया एवम् उक्त आवासीय भूखण्ड का कोई उपयोग नहीं होने के कारण उक्त पट्टा निरस्त किये जाने योग्य है । अतः कार्यालय ग्राम पंचायत मामोर पंचायत समिति सांगोद जिला कोटा के द्वारा जारी आबादी भूमि का विक्रय विलेख नियम-158(2) मिसल संख्या -401 दिनांक 05.10.2010 एवं जारी पट्टा-1701 दिनांक 25.11.2010 को निरस्त करने का निवेदन किया गया ।

2. निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरनिगराकार की तलबी की गई। गैरनिगराकारान स्वयं उपस्थित हुए । सरपंच ग्राम पंचायत मामोर पंचायत समिति सांगोद द्वारा पत्र क्रमांक/ग्रा.पं./19-20/76 दिनांक 29.11.2019 पेश कर तथ्य अंकित किये कि प्रधानाध्यापक राज० उ० प्रा० विद्यालय पानाहेडा की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पानाहेडा के पुराने भवन राज० उ० प्रा० विद्यालय पानाहेडा के नाम ग्राम पंचायत मामोर द्वारा पट्टा संख्या 1701 मि० सं० 401 दिनांक 05.10.2010 द्वारा दिनांक 25.11.2010 को जारी किया गया । पट्टा को एसएमसी के प्रस्ताव मुताबिक पुराना भवन क्षतिग्रस्त व अनुपयोगी होने के कारण निरस्त करने की अनापत्ति की है । वर्तमान में राज० उ० प्रा० विद्यालय पानाहेडा के नये भवन में संचालित है तथा उपस्वास्थ्य केन्द्र पानाहेडा की एएनएम द्वारा ग्राम पानाहेडा में राज० उ० प्रा० विद्यालय पानाहेडा के पुराने भवन जो क्षतिग्रस्त है कि भूमि को उपस्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण हेतु भूमि चाही गई है । ग्राम पंचायत मामोर को प्राप्त प्रधानाध्यापक राज० उ० प्रा० विद्यालय पानाहेडा की रिपोर्ट व उपस्वास्थ्य केन्द्र पानाहेडा की एएनएम की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायत मामोर द्वारा ग्राम सभा बैठक दिनांक 13.11.2019 में राज० उ० प्रा० विद्यालय पानाहेडा पुराना भवन का पट्टा सं० 1701 दिनांक 25.11.2010 को निरस्त कर इस भूमि को उपस्वास्थ्य केन्द्र पानाहेडा के नाम पट्टा जारी करने का सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया है । अतः ग्राम पंचायत मामोर द्वारा जारी पट्टा सं० 1701 दि० 25.11.2010 को निरस्त करने का निवेदन किया गया । जिसकी पुष्टि में ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत मामोर के पत्र क्रमांक/ग्रा.पं./19-20/77 दिनांक 29.11.2019 से की गई है । प्रधानाध्यापक राज० उ० प्रा० विद्यालय पानाहेडा के पत्र दिनांक 29.11.2019 से राज० उ० प्रा० विद्यालय पानाहेडा के पुराने भवन जो अनुपयोगी है उसको अन्य विभाग को आवंटित किये जाने में कोई आपत्ति नहीं अंकित की है ।

3. उपस्थित विद्वान अभिभाषक निगराकार एवं समस्त गैरनिगराकारान की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक निगराकार द्वारा निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि राज० उ० प्रा० विद्यालय पानाहेडा को आवंटित भूमि का लगभग 7 वर्षों से कोई उपयोग नहीं हो रहा है । वर्तमान में राज० उ० प्रा० विद्यालय पानाहेडा को उक्त भूखण्ड की कोई आवश्यकता नहीं है । राज० उ० प्रा० विद्यालय पानाहेडा खुद के नये भवन में संचालित है । उक्त भूमि उपस्वास्थ्य केन्द्र पानाहेडा के नाम पट्टा जारी करने का ग्राम पंचायत मामोर द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया है । अतः निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत मामोर पंचायत समिति सांगोद द्वारा जारी पट्टा सं० 1701 दि० 25.11.2010 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया ।

4. न्यायालय में उपस्थित समस्त गैरनिगराकारान द्वारा विद्वान अभिभाषक निगराकार के कथनों का समर्थन करते हुए निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत मामोर पंचायत समिति सांगोद द्वारा जारी पट्टा सं० 1701 दि० 25.11.2010 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया ।




5. विद्वान अभिभाषक निगराकार व समस्त गैरनिगराकारान की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी मे अंकित तथ्यों का समस्त गैर निगराकारान द्वारा समर्थन किया गया है। जिसके समर्थन मे सरपंच ग्राम पंचायत मामोर के पत्र क्रमांक/ ग्रा.प./19-20/76 दिनांक 29.11.2019 व ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत मामोर पं० सं० सांगोद के पत्र क्रमांक/ ग्रा.प./19-20/77 दिनांक 29.11.2019 व प्रधानाध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पानाहेडा पंचायत समिति सांगोद के पत्र दिनांक 29.11.2019 से पट्टा सं० 1701 दिनांक 25.11.2010 को निरस्त किये हेतु अनापत्ति पत्र जारी कर उक्त पट्टे को निरस्त किये जाने मे कोई आपत्ति नही होना अंकित किया है।

6. परिणामतः उपरोक्त विवेचन अनुसार निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत मामोर पंचायत समिति सांगोद द्वारा जारी आवादी भूमि का पट्टा सं० 1701 दिनांक 25.11.2010 जो राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पानाहेडा पंचायत समिति सांगोद के नाम से जारी किया गया है को निरस्त किया जाता है।

7. पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ़तर की जावे।

8. निर्णय आज दिनांक 29.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

  
( श्री नरेन्द्र गुप्ता )  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
कोटा, जिला कोटा